उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2
संख्या–क0नि0–2–1834 / ग्यारह–9(205) / 2014–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(126)–2014
दिनांकः 29 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है :

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 74 के साथ पठित धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निर्देश देते हैं कि दिनांक 14 नवम्बर, 2014 से प्रारम्भ हो कर दस वर्ष के लिये, बायो–फ्यूल (यथा–बायो–डीजल, बायो–एथेनाल, बायो–गैस व प्रोड्यूसर गैस) और उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर बायो–फ्यूल के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली मशीनरी के विक्रय के आवर्त पर उक्त अधिनियम के अधीन किसी कर का उद्ग्रहण और भुगतान नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।